



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-19022026-270315  
CG-KA-E-19022026-270315

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947

No. 859]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 899(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वह भूमि, (जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है) विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात् कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के बादामी तालुक के अदगल गाँव में KM 67/600-700 पर LC NO.34 के बदले और ROB का प्रस्तावित निर्माण, एतद्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के अपने इरादे की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

पिछली कंडिका में संदर्भित प्रत्येक आपत्ति लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, विशेष रेलवे परियोजना और सहायक आयुक्त, बागलकोट, कर्नाटक को दी जाएगी और उसमें उसके आधार निर्धारित किए जाएंगे। ऐसा सक्षम प्राधिकारी आपत्ति करने वाले को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा ऐसी आगे की जांच, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के बाद आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूमि मानचित्र (प्लान) और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के बादामी तालुक के अदगल गाँव में KM 67/600-700 पर LC NO.34 के बदले बदले ROB के प्रस्तावित निर्माण के लिए संरचना सहित या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले: बागलकोट

क्रम संख्या	तालुक	गाँव	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (A-G-An में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	बादामी	अदगल	44	0-5-8	0.0556
2			45	0-9-8	0.0961
3			76	1-25-8	0.6627
कुल				2-0-8	0.8144

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

### NOTIFICATION

Bengaluru, the 18th February, 2026

**S.O. 899(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the lands, (the brief description of which has been specified in the Schedule annexed to this notification) is required for execution of the Special Railway Project namely, the Proposed Constuction of ROB in lieu of LC NO.34 at KM 67/600-700 in Adagal village, Badami Taluk Bagalkot District in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection, to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every objection referred to in the preceding paragraph, shall be made to the competent authority namely, Special Land Acquisition Officer and Competent Authority, Special Railway Project and Assistant Commissioner, Bagalkote, Karnataka in writing and shall set out the grounds thereof and such competent authority shall give the

objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, the Proposed Constuction of ROB in lieu of LC NO.34 at KM 67/600-700 in Adagal village, Badami Taluk Bagalkot District in the State of Karnataka.**

**District : Bagalkote**

Serial Number	Taluk	Village	Survey Number	Area (in A-G-An)	Area (in Hectares)
1	Badami	Adagal	44	0-5-8	0.0556
2			45	0-9-8	0.0961
3			76	1-25-8	0.6627
Total				2-0-8	0.8144

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Con.